राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1390/2012/कोटा
अपील संख्या 1391/2012/कोटा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ,
वृत–अ, कोटा ....अपीलार्थी
बनाम
मैसर्स प्रकाश हार्डवेयर स्टोर,
सब्जी मण्डी, कोटा ....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक ......अपीलार्थी की ओर से
श्री अभिषेक अजमेरा,
अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक :– 01.08.2017

निर्णय

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 के मूल कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 05.06.2006 एवं 16.06.2007 को पारित किये गये थे एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की बिक्री में लोहे की जाली का 4 प्रतिशत की कर दर से करारोपण किया गया था परन्तु कर दर के निर्धारण को त्रुटिपूर्ण मानते हुये उक्त दोनों आदेशों को अधिनियम, 1994 की धारा 37 के तहत संशोधन कर लोहे की जाली को हार्डवेयर मानते हुये 14 प्रतिशत से कर योग्य मानकर मांग राशि क्रमशः रुपये 23,708/– एवं 21,371/– की मांग कायम की गई थी, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने धारा 37 के तहत आदेश पारित किया जाना विधिविरुद्ध बताया क्योंकि किसी वस्तु के कर दर निर्धारण में विवाद को संशोधन कर दुरस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह Mistake apparaent on record नहीं होकर Reappreciation of facts है। जो धारा 37 में कवर नहीं होती है। अपीलीय अधिकारी ने यह भी निर्णय दिया है कि उनके द्वारा यह जांच भी की गई है कि व्यवहारी ने लोहे की जाली नहीं बेंची है बल्कि Hand Tools की बिक्री की है जो 4 प्रतिशत से ही कर योग्य है। उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई अपील पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

2. अपीलीय अधिकारी द्वारा कर दर निर्धारण सम्बन्धी पूर्व निर्णय को संशोधन के प्रावधानो के तहत परिवर्तित करना धारा 37 में अनुज्ञेय नहीं माना है जो पूर्णतया सही विनिश्चय है। साथ ही अपीलीय अधिकारी ने तथ्यों पर भी जांच कर उसे जाली की बिक्री नहीं पाया था, उस आधार पर अन्तर कर रुपये 16,364/– एवं 15,830/– ब्याज को निरस्त किया है जिसमें कोई भूल नहीं होने से अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

1/8/2017
(के.एल.जैन)
सदस्य